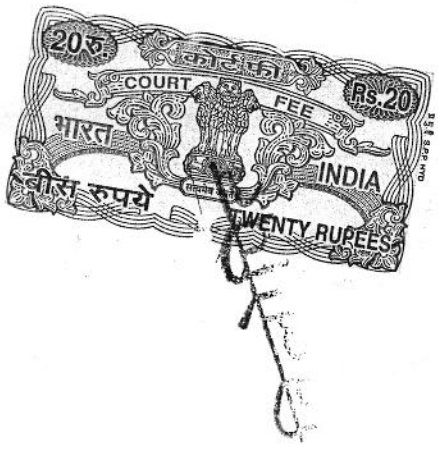

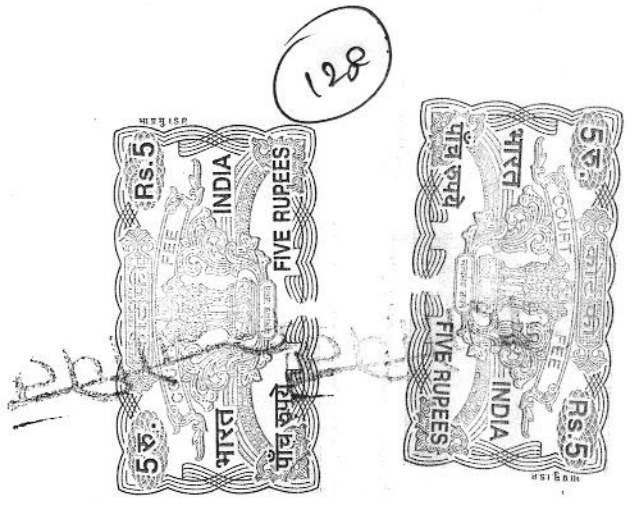

(128)

मुख्य राजस्व नियत्रंण अधिकारी, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी - 5530/2018/ग्वालियर/स्टांपअधि

1. प्रकाश पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल
   निवासी–मैनावाली गली लश्कर
2. किशोरीलाल गोयल पुत्र श्री बाबूलाल
   निवासी–जिन्सी नाला नं.3 लश्कर

विरूद्व

1. मध्यप्रदेश शासन
2. रवि कुमार पुत्र श्री सेवाराम शर्मा (मृत)
   द्वारा उत्तराधिकारीगण–
   (अ) रजनी शर्मा पत्नी स्व.रवि शर्मा
   (ब) मयंक शर्मा पुत्र स्व.रवि शर्मा
   (स) टिंकल शर्मा पुत्र रवि शर्मा
   निवासीगण–सेवा सदन, माधौगंज, लश्कर

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला–ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक–92/बी–103/2013–14/33 में पारित आदेश दिनांक 25/08/2018 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश प्रकरण के अभिलेख एवं विधि के विपरीत तथा मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, इस प्रकरण से संबंधित सम्पति के स्वामी रवि शर्मा थे। रवि शर्मा ने आवेदकगण को अपनी भूमि विक्रय करने का अनुबंध 25/05/2005 को किया था जिसमें यह निश्चित किया गया था कि विक्रेता रवि शर्मा सम्पति को किरायेदारो से खाली करकर अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित करेंगे।

3. यह कि, रवि शर्मा अपने किरायेदारो से सम्पति खाली नहीं करा पाये इस कारण विक्रय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5530/2018/ग्वालियर/स्टांप अधि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-2019	आवेदकगण की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित । शासकीय अभिभाषक द्वारा यह आपत्ति की गई कि आवेदकगण द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम में हुए संशोधन के उपरांत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अनावेदक क्रमांक 1 शासकीय अभिभाषक द्वारा की गई आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापिस किए जाने का अनुरोध किया गया । आवेदकगण के अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण उन्हें वापिस किया जाता है । चूंकि यह प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय में निगरानी के रूप में ग्राह्य हो चुका है, अत: आवेदकगण यदि इस आदेश दिनांक 27-6-2019 से 15 दिवस के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती है तो आयुक्त अपील को समयावधि में मान्य करें । अध्यक्ष	